भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 339

दिनांक 15.09.2020/24 भाद्रपद, 1942 (शक) को उत्तर के लिए

आतंकवाद के विरुद्ध संयुक्त कार्रवाई योजना

339. श्री गोपाल शेट्टीः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमरीका और अन्य देशों को प्रभावित करने वाले वैश्विक आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए एक संयुक्त कार्रवाई योजना बनाने के लिए कोई कदम उठाए हैं या उठाने पर विचार कर रही है;
(ख) यदि हां, तो आज की तारीख तक तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

(क) और (ख): सदस्य राष्ट्रों द्वारा "संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकवाद रोधी कार्यनीति" को दिनांक 08.09.2006 को अपनाया गया था। यह कार्यनीति एक संकल्प के रूप में है तथा इसके साथ एक कार्रवाई योजना संलग्न है। "संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकवाद रोधी कार्यनीति" के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने के लिए "वैश्विक आतंकवाद रोधी फोरम (जीसीटीएफ)" एक तंत्र के रूप में कार्य करता है तथा आतंकवाद रोकने के लिए मौजूदा बहुपक्षीय प्रयासों को सम्पूरित और सुदृढ़ करता है। भारत जीसीटीएफ का एक संस्थापक सदस्य है तथा इसमें संयुक्त राज्य अमरीका और रूस सहित 30 सदस्य शामिल हैं। इसके अलावा, भारत ने 24 देशों तथा बिम्सटेक (बीआईएमएसटीईसी), ब्रिक्स (बीआरआईसीएस) और यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्यदलों का भी गठन किया है। आतंकवाद रोधी मुद्दों पर चर्चा करने तथा आसूचना, अनुभव, विशेषज्ञता, उत्तम पद्धतियों और पारस्परिक सरोकार के मुद्दों को साझा करने के लिए समय-समय पर इन संयुक्त कार्यदलों की बैठकें आयोजित की जाती हैं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

******

*****